सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध न किए जाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि इसके लिए कड़े से कड़े शब्दों में भी की जाने वाली भर्त्सना कम होगी । उपसभाध्यक्ष, न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने प्रतिवेदन के द्वारा . . . (व्यवधान) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Mr. Ahluwalia, I request you to sit down for a moment. In the Supplementary List of Business there are two Bills to be introduced, Shri S. B. Chavan.

RE-INTRODUCTION OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1993 AND THE TERRORIST AND DISRUPTIVE ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 1993

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् यह आज अभी 11 बजे हमको दी गई है । मैं जानना चाहूंगा चव्हाण साहब से कि, यह आज ही 11 बजे सप्लीमेंटरी लिस्ट हमको दी गई है, ऐसी क्या जल्दी थी, यह बार-बार हो रहा है ?

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra) : Why was it not notified earlier ?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Now, the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Amendment Bill, 1993. Shri S. B. Chavan.

SHRI S. B. CHAVAN : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar) : Sir, the hon. Minister is introducing the Bill. We have every right to speak on the first reading of the Bill. The point basically is, the Bill has not been circulated. We do not know what their compulsions are.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : We should have known... (*Interruptions*).

SHRI VIREN J. SHAH : Sir... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Let him finish.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL : Therefore, I would ask the hon. Minister not to make a summary introduction only. He must explain his compulsions. He must explain his short-circuiting the whole thing. Why is he coming to us in such a haste without even making us know what it is about ?

SHRI S. B. CHAVAN : Sir, both the Bills have been circulated. It is merely introduction.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal) : Sir, a Bill has to be circulated first and then he can introduce it. Obviously, today is the first day. When were the Bills circulated ? (*Interruptions*).

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH (Bihar) : Sir, perhaps the hon. Member has not seen it. We have already received the Bill.

The VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I have checked the records. Both the Bills were circulated on the 24th April, 1993.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन् मैंने पहले ही अपना आब्जेक्शन किया था, यह ठीक है . . . (व्यवधान) . . . यह 24 तारीख को सरक्यूलेट किया गया । . . . (व्यवधान) . . .

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : महोदय, यह जो बिल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि "टू बी इन्ट्रोडियूस्ड इन राज्य सभा" । . . . (व्यवधान) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : It was circulated on the 24th April, 1993.

SHRI DIPEN GHOSH : Sir, if it was circulated on the 24th of this month, today is the 26th April and the printed List of Business does not contain these Bills.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : That is true. It is there in the Supplementary List of Business. You know that Supplementary List of Business are being taken up in this House.

SHRI VIREN J. SHAH : If it was circulated at 11 O'clock we would have come prepared for it... (*Interruptions*)... This [illegible] practice... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : The Chair can reorganise the period of the business... (*Interruptions*)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन्, जहां तक कानून का सवाल है, आपने पूरा कर दिया है। लेकिन 24 तारीख को दो दिन पहले सर्क्यूलेट किया है, यह भी ठीक है। मैं अब यह चाहूं कि इंटरोडक्टरी स्टेज पर इसका विरोध करूं तो उसकी कहां तैयारी हुई है, बिल तो नहीं लाए यहां। नार्मली यह है कि दो दिन पहले सूचना दी जाती है। कम से कम दो दिन पहले हम लोगों को बतलाना चाहिए।

So that we can oppose it.

चव्हाण साहब, यह बताएं कि मुश्किल क्या थी ?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : I don't think there is any need to explain it at the introductory stage... (*Interruptions*)...

श्री एस. एस. अहलूवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जो मामला उठाना चाह रहा हूं, यह एक महत्वपूर्ण मामला है और पूरा देश इसके बारे में सोच रहा है। जस्टिस वर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट इस सदन में 23 दिसम्बर, 1992 को पेश की गई थी, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : There is no question of objection... (*Interruptions*)...

SHRI VIREN J. SHAH : This is the revised list of business and even in the revised list it has not been included. What was the urgency to bring it at quarter past eleven ? They could have included it in tomorrow's list of business. This is a wrong practice... (*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : We oppose it... (*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar) : Mr. Vice-Chairman, Sir, the issue is very clear. The Members have a right. Now this right cannot be taken away unilaterally, all of a sudden. We have a right to oppose the introduction of the Bill and we must get an opportunity to exercise this right. What is being taken away from us is the exercise of that right and that is why we are protesting... (*Interruptions*)...

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब इसकी अंग्रेजी कापी सर्क्यूलेट हुई तो इसके साथ-साथ हिन्दी की कापी भी होनी चाहिए थी। इसलिए मैं इसके बारे यह कहता रहा हूं कि सदन में अगर कोई कापी केवल अंग्रेजी में दी जाए तो यह बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी कापी के साथ उसकी हिन्दी कापी भी दी जानी चाहिए। ... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : The Secretariat has informed me that the Hindi copy has also been circulated.... (*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : सर, मेरा पोइंट आफ आर्डर है।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : आपको क्या कहना है ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा पोइंट आफ आर्डर है।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : अभी आप तशरीफ रखिए।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Mr. Vice-Chairman, Sir, my objection is this. It is a question of introduction of a Bill and this Bill you say has been circulated earlier. My point is, if the Members are not given information a little ahead of time, how can we make up our minds whether to support or oppose it at the initial stage ? Therefore, if the Bill is introduced in this way it tantamounts to infringement of our rights. In your wisdom you can permit it. But before permitting this act of the Government, will you kindly take into consideration that this tantamounts to infringement of the right of the Members of the House which they could exercise at the introductory level ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, मेरा पोइंट आफ आर्डर नियम-67 के तहत है। जिस समय माथुर जी ने यह कहा कि वह इस बिल के इंटरोडक्शन को अपोज करना चाहते हैं तो आपने कहा कि इंटरोडक्टरी स्टेज पर अपोजिशन का कोई मायने नहीं है, कोई अपोज नहीं होगा। मैं नियम-67 पढ़कर बताना

चाहती हूं :

"Motion for leave to introduce Bill—If a motion for leave to introduce a Bill is opposed..."

सर यहीं से इस नियम की पहली पंक्ति चाहती हूं:

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed the Chairman, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the Member who moves and from the Member who opposes the motion, may, without further debate, put the question."

इसका मतलब यह है कि अगर इंटरोडक्टरी स्टेज पर कोई मेंबर बिल अपोज करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बोलने की उनको अनुमति देंगे। उसके बाद वह जो बिल इंटरोड्यूज कर रहा है वह बोलेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन पुट टू वोट होगा। इसलिए यहां यह दोनों बिल ऐसे रखे गए हैं जिनका हम विरोध करना चाहते हैं—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स का भी और जो टाडा का एक्सटेंशन है, उसके बारे में भी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि चूंकि बिजनेस में यह नहीं था और तैयारी करके हम लोग नहीं आए हैं, अपोज करना चाहते हैं तो उसको कल तक टाल दीजिए, कल के एजेंडा में रखें, ताकि लोग तैयारी करके आएं और इंटरोडक्टरी स्टेज पर इसका विरोध हो सके। तो जो आपने बात कही थी कि इंटरोडक्टरी स्टेज पर अपोजिशन नहीं होता, उसके लिए मैंने नियम का हवाला दिया।

duction of this Bill... (*Interruptions*)... (Andhra Pradesh) : At the stage of intro-

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, जो आपत्ति उठाई है ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : आप तशरीफ रखिए, बात होती है अभी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : आप सभी प्वाइंट आफ आर्डर को स्टोर बना रहे हैं ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Is your matter different ?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : I fail to understand the need and urgency to bring it as a supplementary item today when we have a right to verify about the Constitutionality of the Bill. If we had found that this was to be there, we would have opposed it... (*Interruptions*). The constitutionality of the Bill has to be examined. How can you just bring a Bill, introduce it half-way through the day and say, "Yes, this is it and you accept it"? It is for us, in the wisdom of this House to verify.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Now, as the Members have desired, I put the introduction of the Bill to vote... (*Interruptions*). The Leader of the House is on his legs. Please listen to him.

SHRI S. B. CHAVAN : Sir, I seek the indulgence of the hon. Members. Though the Bill has been circulated on 24th, the Members do have a right at the stage of introduction also to oppose the same. I can see the point. If the hon. Members are interested in discussing the same, I am prepared for it. I will make a statement in the beginning about the objective of the Bill if the hon. Members want... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Rule 67 is very clear. There should be no doubt about it. Whatever procedure was adopted, I think, it has been proper... (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : I request you to do it tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Rule 67 says, "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Chairman, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the Member who moves and from the Member who opposes the motion, may, without further debate, put the question : Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the Council..." (*Interruptions*)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उसमें वोट का सवाल नहीं है उपसभाध्यक्ष महोदय ... **(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : What is the problem if it is done tomorrow ?... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : It was not listed in the regular agenda. There was a supplementary agenda and the Chairman has allowed it.

SHRI VIREN J. SHAH : It is a wrong precedent... (*Interruptions*)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह बिल अजेंडा में नहीं था । इसलिए हम इस पर पढ़कर नहीं आए हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको कल लिया जाए ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : महोदय, जो आपत्ति उठाई जा रही है वह इसको आज लिए जाने के बारे में है । हम क्या जानते थे कि यह आज लिया जाने वाला है । कोई तैयारी नहीं है हमारी ... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : The Chairman has allowed introduction of the Bills to be added in the supplementary list of business. ... (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH : Mr. Vice-Chairman, Sir, the rule says that while introducing the Bill, the Minister will make an explanatory statement and the Member who opposes it will also make a statement. Then there can be a vote. I want to draw your kind attention to the Statement of Objects and Reasons as regards the TADA. This Bill has been sought to be introduced because this TADA is supposed to expire on 23rd of May this year and so it requires an extension in view of the situation prevailing in our country. Today is only 26th of April and why this hurry is there for introducing the Bill ? There is no necessity of riding roughshod over the procedure... (*Interruptions*)

SHRI VIREN J. SHAH : Mr. Vice-Chairman, Sir, it is now for you in the Chair to protect and lay down the right procedure. It can always happen tomorrow... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : I appeal to the hon. Members of this House to kindly consider the position of the Opposition and not take a position which is against our desire... (*Interruptions*)

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : It has already been introduced. One mistake cannot be corrected by another mistake. It is already been introduced.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : It is not introduced.

SHRI H. HANUMANTHAPPA : The introduction is over.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : The Leader of the Opposition is on his legs. Let him speak.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : वाइस चेयरमैन साहब, मैं यह अर्ज कर रहा था कि दीपेन साहब ने एक बहुत पर्टीनेन्ट बात कही है कि इसको इतनी जल्दी सप्लीमेंटरी लिस्ट आफ बिजनेस की शक्ल में लाने की जरूरत क्या थी । जल्दी की कोई बात नहीं है ।

What are we trying to achieve by this hurried move ? Therefore, let it come through a proper manner.

क्या जल्दी है यह बताइए ।

†[نیتا ورودھی دل: وائس چیئرمین صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیپین صاحب نے ایک بہت پرٹینٹ بات کہی ہے کہ اس کو اتنی جلدی سپلیمنٹری لسٹ آف بزنس کی شکل میں لانے کی ضرورت کیا تھی۔ جلدی کی کوئی بات نہیں ہے۔]

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी) : आपको भी इसमें कुछ कहना है ?

†["آپ سبھادھیکش: شری سید سبط رضی"۔ آپ کو بھی اس میں کچھ کہنا ہے۔]

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : टाडा में तो यह प्रोविजन है कि बिना नोटिस के किसी को भी पकड़ कर बंद कर दें । किन्तु बिना नोटिस के सदन में बहस अभी से शुरू कर दीजियेगा तो यह खराब बात है । इसलिए

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस पर वोटिंग के लिए नहीं कह रहे हैं दैट दिल बी ए बैड प्रीसीडेंट । हम इतना ही चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिएक्ट करे । मैम्बर के अधिकार को जारी रखा जाए । आपको हम लोगों के इस अधिकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : बिल्कुल आपके अधिकार प्रोटेक्ट होंगे । इसमें आप चिंता न करें ।

آپ سمجھا ادھیکش، شری سید سبط رضی
بالکل آپ کے ادھیکار پروٹیکٹ ہوں گے
اس میں آپ چنتا نہ کریں۔

श्री एस. बी. चव्हाण : जो बात लीडर आफ द अपोजिशन ने कही मुझे ताज्जुब होता है कि आज तक सप्लीमेंटरी लिस्ट आफ बिजनेस आया है कभी ऐसा नहीं हुआ । यह भी सप्लीमेंटरी लिस्ट आफ बिजनेस चेयरमैन साहब की इजाजत से आया है आपके सामने । नार्मल प्रैक्टिस यह रही है । आप को अधिकार जरूर है कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर आप विरोध कर सकते हैं । इसके अंदर बात यह है कि बजट पर डिस्कशन शायद बाद में शुरू हो जाएगा इसके लिए हम यह चाहते थे कि इन्ट्रोडक्शन आज कर लें और बाद में जब भी आपको फुर्सत हो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने कंसीडरेशन आफ पासिंग के लिए रख दिया जाए । इसके लिए जल्दबाजी की कोई बात नहीं है । आज भी मैं आप से कहूंगा कि अगर आप के कोई आब्जेक्शन हैं तो आप उठाइये उसके जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं । लेकिन इसमें जल्दबाजी की कोई बात है ऐसा आप क्यों मानते हैं । पहला दिन होने की वजह से ज्यादा जोश है यह मैं समझ सकता हूं । लेकिन इसके बावजूद भी ये चीजें आई । इसमें कोई खास बात नहीं है जिसके लिए इतनी बातें खड़ी की जा रही हैं । आप चाहते हैं आप बहस करें तो आप कीजिए ।

श्री सिकन्दर बख्त : कल कीजिए । कोई हर्ज नहीं है ।

[ ] Transliteration in Arabic Script.

نیتا ورودھی دل: کل کیجئے۔ کوئی
حرج نہیں ہے۔

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नियम का ठीक पालन हो इसलिए इसको कल किया जाना चाहिए ।

SHRI VIREN J. SHAH : You can introduce tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : The hon. Home Minister has moved for leave to introduce the Bill. Now the question is that the leave... (*Interruptions*)...

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : He has said that permission has been given by the Chairman. But objections have been raised.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Let me complete my sentence. Now the question is whether the leave of the House should be granted to it or not. So, I put it for the leave of the House.

श्री सिकन्दर बख्त : वाइस चेयरमैन साहब, क्या आप इसको फार्मल्टीज के हक्क में लाना चाहते हैं ? लीडर आफ द हाउस ने यह फर्माया है कि इस किस्म की जल्दी नहीं है कल भी कर सकते हैं आप । इसमें जिद की क्या बात है । कल कीजिए । अगर आप आपिनियन आफ द हाउस पूछते हैं तो करिये ।

نیتا ورودھی دل: وائس چیرمین صاحب
کیا آپ اس کو فارملٹیز کے حقوق میں
چاہتے ہیں۔ لیڈر آف دی ہاؤس نے
یہ فرمایا ہے کہ اس قسم کی جلدی نہیں
ہے کل بھی کر سکتے ہیں آپ
کی کیا بات ہے کل کیجئے
اوپینین آف دی ہاؤس پوچھئے
کریں۔

[ ] Transliteration in Arabic Script.

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : होम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि अगर आप अभी डिस्कशन करना चाहते हैं तो

The Home Minister has already said that he is ready.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL : One minute, Sir.

SHRI JAGESH DESAI : Sir, I want to raise a point of order.

SHRI S. B. CHAVAN : It will not be a healthy precedent. I have no objection if this Bill is taken up for introduction tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Before we take up the *legislative business, there are certain matters* which Members wanted to raise during Zero Hour. I request Mr. Ahluwalia to speak.

RE VERMA COMMISSION REPORT

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था मेरे पास स्वर्गीय राजीव गांधी की सुरक्षा से आधारभूत ढंग से एस.पी.जी. को हटाये जाने तथा दूसरी समुचित वैकल्पिक सुरक्षा के प्रबन्ध न किये जाने के लिए भर्त्सना करने के लिए शब्द नहीं हैं । उसकी जितने कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए वह कम है । उपसभाध्यक्ष महोदय, जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 9.14 में, जो उन्होंने 23 दिसम्बर, 92 को इस सदन में पेश की है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है : इंटेलिजेन्स ब्यूरो तथा राजीव जी की सुरक्षा के संबंध में अन्य विभागों द्वारा बारम्बार उस समय के प्रधान मंत्री तथा उस समय की सरकार का ध्यान उनकी विशेष सुरक्षा की ओर आकर्षित किया गया था जिसके कारण सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया था जिसकी सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राजीव जी को संभावित खतरे की पुनः समीक्षा जब तक नहीं कर ली जाती तब तक एस.पी.जी. की सुविधा वापस नहीं ली जाएगी । परन्तु राजीव जी की संभावित खतरे की पुनः समीक्षा किये बिना उस समय 30 जनवरी 1990 को उनकी एस.पी.जी. की सुविधा विघटन कर ली गई । इत्तफाक से वह महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस भी था जिस दिन महात्मा गांधी शहीद हुए थे, वह दिन जिस दिन राजीव जी की सुविधा वापस ली गई और इस एक्ट को वर्मा कमीशन ने अपने पैरा 16.19 में कहा है कि यह एक अजीब तरीके का निर्णय है जिसको ट्रेनुअस की संज्ञा दी गई है . . . **(व्यवधान)**

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh) : Has it been accepted ?

SHRI S. S. AHLUWALIA : Just a minute. Let me finish...(Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : It has been placed on the Table of the House...(Interruptions)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : इस निर्णय के लिए कारण यह दिया गया कि एस.पी.जी. एक्ट पूर्व प्रधान मंत्री पर लागू नहीं होता है। ऐसी दशा में वी. पी. सरकार उक्त अधिनियम में संशोधन कर सकती थी और यह कोई संविधान संशोधन या धन विधेयक वाला विधेयक तो था नहीं । वी. पी. सरकार ने अध्यादेश द्वारा भी ऐसा नहीं किया । पर जिस वक्त राजीव गांधी की हत्या हुई उसके बाद जब इस सरकार ने एक फैसला लिया कि पूर्व प्रधान मंत्री को भी एस.पी.जी. की सुविधा दी जाय । सदन को ज्ञात होगा, मैंने इस संबंध में एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसके रिस्पोन्स में चूंकि हमारी सरकार को तुरन्त मंशा थी कि एस.पी.जी. की सुविधा पूर्व प्रधान मंत्रियों को भी दी जाय, तुरन्त उस पर कार्यवाही की गई और उसमें संशोधन लाकर हमने दो पूर्व प्रधान मंत्रियों को और सोनिया जी को यह सुविधा दी । जब पहले यह सुविधा हटाई गई थी तो उसके पीछे कोई सुझबूझ से लिया गया निर्णय नहीं था । जब भी इसका फैसला करने के लिए बैठक की गई तो खुफिया विभाग की रिपोर्ट को नजरअन्दाज किया गया । खुफिया विभाग ने बार-बार यह कहा कि जब तक इसकी पूरी समीक्षा नहीं की जाती तब तक यह सुविधा न हटाई जाय . . . **(व्यवधान)**

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (Nominated) : Sir, on a point of order. I would like to know whether